तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतला...
12.6.2023	दोनो पक्षो के अधी वक्त उपस्थित। वकील प्रतिवादी (ओम सिंह) की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC पर बहस गत पेशी पर सुनी CPC पर बहस गत पेशी पर सुनी गई थी. बहस थी. कि वादीगण की ओर से एक वाद धारा 88, 188, 183 RT अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 RT Act के तहत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली बाबत पेश किया गया है जिसमें वादीगण अपना हक हिस्सा 1/8 के तनाजा पर 3/8 वादीगण की दुरूस्ती रूप में घोषित करवाना चाहते हैं जबकि बावजूद पुराने खसरा नम्बर 757 व 758 स्थित मौजा मांगीवाला के है. जो वाद के पद संख्या 02 में अंकित वक्त सेटलमेंट खातेदार कालू पिता हाजी हिस्सा 1/4, अलमना पिता बना 1/4 हिस्सा, धिन्ना, बेटा बलदु दरगा व मकबूल बेटा मौजा हिस्सा 1/4, लीला पुत्र हेमा 1/8 हिस्सा, पुरखा कुम्हार पिता ... 1/32 हिस्सा, जोगा, गोरखा ... पिता अली 1/32 हिस्सा, ... राजू 1/16 हिस्सा दुरूस्ती है। दुरूस्ती हिस्सा मुताबिक कर वादीगण खातेदारी घोषणा व बेदखली की डलहुमा चाहे

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:38 IST
Reason: SelfAttested

280/2006

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चाही गई है। जिसके सेन्सलमेंट खातेदार
व उनके वारिसान आवश्यक पक्षकार
होने के उपरांत पक्षकार नहीं बनाया
गया है। जिससे दावा विधि से बाधित
होने से काबिल खारिज है। इसपर
बहस को जारी रखते हुए आगे और
कथन किया था कि वादग्रस्त भूमि में
प्रतिवादी संख्या 02 लेखा उर्फ दुर्गा की
को मौत हुए लगभग 09 वर्ष से अधिक
समय व्यतीत हो चुका है, जिसकी फौतगी
सूचना न्यायालय में वादी पक्ष द्वारा नहीं
दी गई और न ही उनके वारिसान [illegible]
की सूची पेश की गई है। वादग्रस्त
भूमि में खसरा नम्बर 1003/75 को
दिनांक 30.10.2009 से स्थानीय नगर परिषद
बालोतरा की भूमि है, जो आवश्यक पक्षकार
होने के उपरांत भी पक्षकार नहीं बनाये
जाने के कारण दावा खारिज योग्य है।
विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 1004/757
व 1005/758 गैर मुमकिन सड़क, जो राज्य
सरकार PWD के अधीन सरकारी भाग व
[illegible] सड़क है। जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है
खसरा नम्बर 1004/758 में वर्तमान खातेदार
87 है और इसी प्रकार 1001/757 में भी
87 खातेदार है। इनके अलावा आवश्यक
पक्षकार होने के उपरांत 17 खातेदार को भी
पक्षकार बनाया है, जो अपूर्ण पक्षकार बनाये
जाने के कारण दावा विधि से [illegible]
के कारण खारिज योग्य है। वादीगण द्वारा विवादित
भूमि को पूर्व में बेचान कर दिया है, अतः वादी
वादीगण का वाद विधि से बाधित होने के कारण
खारिज फरमाया जावे।

[signature]
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	इसके विपरीत वकील वादीगण की बहस थी कि प्रतिवादी की ओर से सारहीन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। क्योंकि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन हितबद्ध आवश्यक पक्षकार बना दिया गया है/ उनका जहां तक प्रतिवादी क्रमांक 02 नेमा उर्फ दुर्गाराम के फौत होने पर वारिसान सूची पेश नहीं करने का प्रश्न है। इस संबंध में वादी पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी के तहत तत्समय ही पेश कर दी गई थी और वह आज में प्रार्थना पत्र विचाराधीन चल रही है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष द्वारा गलत तथ्य पेश किए गए है/ खसरा नम्बर 1004/757 व खसरा नम्बर 1003/757 नगर पालिका व सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम इन्द्राज है, जिनसे वादीगण की ओर से कोई दादरसी नहीं चाही गई है, इस कारण आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाया गया है/ जिससे वादी का वाद विधि के वर्जित नहीं होने के कारण प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे/
	Signature Not Verifi Digitally signed by Vivek Date: 2023.07.16 21:29: Reason: SelfAttested
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

280/2006

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रेकार्ड, दस्तावेजात व जमाबंदी आदि का ~~ध्यानपूर्वक~~ अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिससे पाया कि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 757/1, 757/3, 758/1, 758/3 भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/8 हिस्सा संयुक्त होने के स्थान पर रेकार्ड में गलत अंकित प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज होने के बाद उक्त प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 से 16 को तथाकथित अवैध बेचान किया गया है, को शून्य व निष्प्रभावी करार देते हुए वादीगण को वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्सा का संयुक्त खातेदारी घोषित करवाने बाद स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने व वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी पक्ष द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण को हटवाने हेतु वाद लाया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र के ~~चरण~~ संख्या 01 में उक्त [illegible] खसरा नम्बर 757/1 व 758/[illegible] का भी उल्लेख किया है, जो [illegible] विभाग के खाते हस्तान्तरण हो [illegible] को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में अदालत [illegible]	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	के कब्जात में आया है कि मूल खसरा नम्बर 757 व 758 से विभक्त होकर नये बने खसरात नम्बर 1003/757 स्थानीय नगरपालिका के नाम अंकित हुई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1004/757 व 1005/758 किस्म गै. मुमकिन सड़क PWD के अधीन सरकारी काम काज के लिखत: पूर्व संख्या के लिए अंकित है। खसरा नम्बर 1004/758 रकबा 0.3804 हैक्टेयर में 21 खातेदार के नाम खातेदारी अंकित है व खसरा नम्बर 1001/757 रकबा 0.3804 हैक्टेयर भूमि 37 खातेदारान के नाम अंकित है जबकि वर्तमान वाद में 17 प्रतिवादी ही पक्षकार बनाये गए है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विवादित भूमि के समस्त हितबद्ध खातेदारान को आवश्यक पक्षकारान बनाया जाना आवश्यक है, ताकि वे अपने हक हकूकों के लिए पैरवी कर सकें। लेकिन हस्तगत वाद में विवादित भूमि के हितबद्ध खातेदारान को [illegible] पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण वादीगण का वाद विधि [illegible] है। ऐसे वाद चल नहीं सकते है। इस प्रकार वादीगण का वाद अक्षम होने के कारण खारिज योग्य है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:38 IST
Reason: SelfAttested

280/2006

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा बनाई जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:38 IST
Reason: SelfAttested